झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांकः 08 / NRDWP-36/2016 (पेय.)(Part-2) – 1778/SWSM दिनांक 26.12.17

प्रेषकः

आराधना पटनायक
सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झारखण्ड।

विषयः आगामी ग्रीष्म ऋतु 2018 में गर्मी में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

आप **अवगत** हैं कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म में पेयजल संकट के प्रभावी कार्रवाई का निदेश है। आगामी ग्रीष्म ऋतु 2018 में झारखण्ड के सभी ग्रामीण बसावट (Rural Habitation) में शुद्ध पेयजल की जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। इस क्रम में निम्न निदेश दिया जाता है किः–

1. (i) **अधीक्षण अभियंता** अपने अंचलाधीन प्रमण्डलों में प्रखण्डवार कनीय अभियंता / सहायक अभियंता को **नोडल पदाधिकारी** घोषित करें। नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, एवं मोबाईल नं. प्रखण्डवार सूची मुख्यालय को भी उपलब्ध करायें। एक प्रखण्ड में कनीय अभियंता अथवा सहायक अभियंता दोनो में से एक ही नोडल पदाधिकारी नामित होगा।

(ii) किसी भी परिस्थिति में प्रखण्डवार नोडल पदाधिकारी का मोबाईल बंद नहीं होनी चाहिये। जिन नोडल पदाधिकारियों का मोबाईल नं. बंद पाये जायेंगे उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

(iii) प्रत्येक नोडल पदाधिकारी अपने प्रखण्ड क्षेत्रवार एक WhatsApp Group create करेगा जिसमें जलसहिया / मुखिया / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / CDPO को भी शामिल रखेगा। इसमें स्वच्छता के प्रखण्ड स्तरीय कर्मी भी शामिल रहेंगे। इसमें संबंधित सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता / अधीक्षण अभियंता को भी रखा जाय ताकि समन्वय हो सके।

(iv) सभी नोडल पदाधिकारी प्रखण्ड में आवासन रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी से समन्वय करेंगे।

(v) अधीक्षण अभियंता एक WhatsApp Group रखेंगे जिसमें कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता को रखेंगे। प्रतिदिन कार्यो की समीक्षा की जायेगी। इसमें अभियंता प्रमुख / निदेशक, पी.एम.यू. / राज्य नियंत्रण कक्ष / अभियंता प्रमुख के तकनीकी सलाहकार / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को भी शामिल किया जाय।

2. (i) प्रमण्डल एवं प्रखण्डवार नलकूपों की शिकायत हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कर सघन अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यतः नोडल पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता सभी सूचना संकलित करेंगे तथा शिकायतकर्ता को जबाव देंगे।

(ii) कार्यपालक अभियंता अपने प्रमण्डल क्षेत्र में सभी दैनिक समाचार पत्रों में साप्ताहिक रूप से कंट्रोल रूम का फोन नं. एवं नोडल पदाधिकारी के नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं. प्रकाशित करना सुनिश्चित करें। अपने कार्यालय, प्रखण्ड, अनुमण्डल तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर पेंट कराकर अंकित करें।

कृ.पृ.उ.

PMU/NRDWP PROG. CELL/ 2017/(FEB) 152

(iii)राज्य स्तरीय नलकूपों की शिकायत हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना दिनांक 15.02.2018 तक करना सुनिश्चित करेंगें। राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में शिकायत करने की विधि का प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगें।

3. (i) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे अवस्थित सभी चालू नलकूपों को चालू रखा जाय तथा साधारण मरम्मति के कारण कोई नलकूप बंद न हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ii) नलकूपों के साधारण मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक 904/SWSM दिनांक 09.06.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा ग्रीष्म ऋतु में नलकूपों के साधारण मरम्मति से संबंधित निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। वाहन प्रखण्ड में सभी नलकूपों का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मति कर चालू करना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य **15.03.2018 तक** पूर्ण हो जानी चाहिये तथा **30.06.2018 तक** सत्त चालू रहना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी लघु/वृहत् ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को आवश्यकतानुसार मरम्मति कर चालू करना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य **15.03.2018 तक** पूर्ण हो जानी चाहिये तथा **30.06.2018 तक** सत्त चालू रहना सुनिश्चित किया जाय।

4. (i) रोटन राईजर पाईप (RRP) / नलकूपों का पुनर्स्थापन के कारण बंद नलकूपों को चालू करने हेतु संख्या मुख्य अभियंता पी.एम.यू. का पत्रांक 1758/SWSM दिनांक 20.12.2017 द्वारा मांगी गयी है।

(ii) पूर्व वर्षों के RRP/SR/RM to DT के क्रम में उपयोगी पाईप निकले होंगे। इसकी गणना कर, उसके उपयोग की योजना बना कर कार्यान्वयन कंडिका 4(i) में अतिरिक्त का किया जाय।

(iii) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से सघन आच्छादित/ जल संयोजन/स्टैंण्ड पोस्ट/VAT Water Supply वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानक का पालन कर RRP /नलकूपों का पुनर्स्थापन मात्र अति आवश्यक का किया जाय ताकि emergency address हो।

(iv) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को चालू रखा जाय। इसका सघन अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) करें। कोई आवश्यकता है तो अभियंता प्रमुख के साथ हाथो–हाथ प्रस्ताव देकर निदान करायें।

(v) दिनांक **01.04.2018 से 30.06.2018 तक** विभाग के सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की **छुट्टी रद्द** की जाती है तथा सभी पदाधिकारी अपने पदस्थापित क्षेत्र में उपलब्ध रहना सुनिश्चित करेंगे। अपरिहार्य स्थिति में अभियंता प्रमुख से अग्रिम अवकाश स्वीकृत करा कर मुख्यालय छोड़ेंगे।

(vi) अधीक्षण अभियंता अपने अंचलाधीन प्रमण्डलों में साप्ताहिक रूप से जा कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्धता से संबंधित प्रमण्डल में किये जा रहे कार्यो का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। Random क्षेत्र भ्रमण प्रखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर का करेंगे।

5. संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्र अन्तर्गत पेयजल स्त्रोतों की Mapping एवं चालू रखने में उपरोक्त कंडिका के निदेश के अतिरिक्त निम्न कार्य करेंगे:–

(i) पूरे प्रमण्डल के प्रखण्ड/पंचायत /राजस्व ग्राम/टोलावार व्यौरा की समीक्षा करें, Problem area सकारण चिन्हित करेंगे।

(ii) चिन्हित Problem area में Potable Water का Action Plan तैयार करेंगे–

– Extra Deep Tubewell Installation

– Drought proofing हेतु पर्याप्त जल सरक्षण संरचना निर्माण/Watershed approach/ अन्तर्विभागीय समन्वय

क्र.पृ.उ.